

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2025(Amendment of Section 14, etc.)-Introduced

श्री मनोज तिवारी (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति

प्रदान प्रदान की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनोज तिवारी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।
